

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०

संख्या:एमई-3/यू०जी०/2018/2492

लखनऊ:दिनांक 26/6/2018

यू०पी०नीट यू०जी०-2018 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें शैक्षणिक-सत्र 2017-18 में संबंधित बोर्ड द्वारा इण्टरमीडिएट का अंक-पत्र मूलरूप में अभी तक निर्गत नहीं हुआ है, वह संबंधित बोर्ड द्वारा ऑन-लाइन निर्गत मार्कशीट(अंकपत्र) के आधार पर अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं। अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया के समय इण्टरमीडिएट का मूल अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(के०के०गुप्ता)
महानिदेशक।